जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 180 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण समेत कुल 04 अभि0गण को गिरफ्तार किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन मे अवैध शराब रखने/क्रय/विक्रय/निष्कर्षण करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 04/07/2022 को

थाना कादरचौक पुलिस द्वारा कुल 02 अभि0गण 1. विष्णु कश्यप पुत्र महावीर कश्यप ग्राम ललसी नंगला थाना कादरचौक जनपद बदायूं को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण तथा 2. जग्गू पुत्र रामलाल नि0 ग्राम ललसी नंगला थाना कादरचौक बदायूं को 100 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध मे थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 239/22 व मु0अ0सं0 240/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । थाना कुंवरगांव पुलिस द्वारा सिलहरी रोड से अभियुक्त जगदीश पुत्र चिम्मनलाल निवासी ग्राम बल्लिया थाना कुंवरगांव जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई । उपरोक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी । थाना बिनावर पुलिस द्वारा ग्राम पुठी में कालीचरण की मढिया के पास वाले मकान से अभियुक्त छोटे पुत्र लाखन निवासी ग्राम पुठी थाना बिनावर जनपद बदायूँ को एक अदद जरीकेन में 20 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध मे मु0अ0सं0 196/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभि0गण को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं ।